न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 154/2017 दायरा दिनांक : 20.11.2017

उनवान

1— ओम प्रकाश पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राहमण,

2— नर्बदा पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राहमण, मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

2/1— अनिता तिवारी पत्नी नर्बदा, जाति ब्राहमण,

2/2— अंजली तिवारी पुत्री नर्बदा, जाति ब्राहमण,

2/3— लोकेन्द्र नाबालिग पुत्र नर्बदा जर्ये वली माता अनिता तिवारी पत्नी नर्बदा, जाति ब्राहमण,

3— मुन्नी बाई उर्फ प्रेमलता पुत्री गोविन्दराम, जाति ब्राहमण, निवासी निवासी सी 162, विज्ञान नगर इन्द्रा कॉलोनी, कोटा

4— ममता कुमारी पुत्री घनश्याम पत्नी भैरूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल निवासी गोदाम की तलाई झालावाड

5— उमेश पुत्र घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— मुन्ना उर्फ मनोज पुत्र घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— सुन्दरलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

2/1— राजेन्द्र दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2/2— कमलेश दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2/3— अखिलेश दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2/4— सरला पत्नी बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— रमेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

4/1— कला बेवा मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/2— सीमा पुत्री मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/3— पप्पी उर्फ श्वेता पुत्री मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/4— पिंकी पुत्री मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/5— चंचल पुत्री मुन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— कमला बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— धापू बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7— सुशीला बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

8— नवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

9— नेहा कुमारी पुत्री अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

10— उमा दुबे बेवा अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

11— ओम प्रकाश पुत्र गोरधनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

12— हरिशंकर पुत्र गोरधनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

13— निर्मला कुमारी पुत्री गोरधन लाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

14— हेमलता पुत्री गोरधनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

15— मोहनलाल पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुरा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

16— अवधेश पुत्र जगन्नाथ, जाति ब्राहमण, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

17— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 88/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेंट लगायत 1 से 10 ने वाद घोषणा का विवादित आराजी खसरा नम्बर 539 की 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 550 की 19 बिस्वा कुल 3 बीघा 6 बिस्वा आराजी बाबत् पेश किया । जिसमें मुख्य रूप से दान पत्र दिनांक 28.02.1978 को प्रभावहीन होने की घोषणा चाही थी ।

वाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि कुल आराजी 7 बीघा 6 बिस्वा थी जिसमें से दानदाता (गोविन्दराम व कन्हैयालाल) ने खसरा नम्बर 532 की 2 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 550 की 19 बिस्वा कुल 3 बीघा 6 बिस्वा मोहनलाल पुत्र गोविन्दराम के हक में दान की तथा शेष आराजी के अपीलांट रेस्पोडेंट सहखातेदार हैं । ऐसी स्थिति में दान पत्र में वर्णित आराजी के अलावा शेष आराजी में अपीलांट का नाम हटाना अवैधानिक है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांट का नाम हटाने का आदेश दिनांक 17.06.2017 पारित किया गया है जो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है जो एक तरफा है । लोक अदालत में वही निर्णय पारित हो सकता है जिसमें दोनों पक्षकार उपस्थित होकर राजीनामा पेश करें ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 015.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई । बहस में वकील अपीलांट ने कथन किया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 28.07.1978 का दान पत्र प्रभावहीन करने की घोषणा चाही थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में रखकर बिना फाईन्डिग दिये विवादित आराजी से अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में निरस्त किया जाकर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.04.2013 में एडवोकेट द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 की अन्डरटेंकिंग व दिनांक 24.07.2013 को 7, 8, 9 प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा दिया गया परन्तु दिनांक 9.10.2013 को प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये नो इन्ट्रेक्शन प्लीड (no instruction plead) कर दिया तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया ।

इसके सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा नजीर 1998 डी एन जे (सुप्रीमकोर्ट) पेज 47 पेश की । जिसके अनुसार अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रेक्शन प्लीड (no instruction plead) होने पर पक्षकार को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई । जिसके अनुसार अपील मियाद बाहर है तथा उपरोक्त निर्णय दोनों पक्षों की आपसी रजामन्दी से हुआ है । अतः अपील दुर्भावनावश पेश की गई है । दान पत्र असत्य है । दावे के दौरान वादी ओम प्रकाश वगैरह कभी भी उपस्थित नहीं हुए एवं न ही जवाबदावा पेश किया गया । दानपत्र पर हस्ताक्षर फर्जी है व जालसाजी से प्रेरित है । प्रतिवादी के पिता कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में कोई दानपत्र नहीं लिखा । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2017 सही है । अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजों का अध्ययन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी दिनांक 29.07.2008 के पैरा 10 में दान पत्र दिनांक 28.02.1978 का उल्लेख है जिसके अनुसार विवादित आराजी पर मोहनलाल पुत्र गोविन्दराम का कब्जा संभलाना अंकित है ।

दानपत्र दिनांक 28.02.1978 का अवलोकन किया गया जो रजिस्टर्ड है एवं उपरोक्त विवादित आराजी अपीलांट को दान करना अंकित है ।

रजिस्टर्ड दान पत्र को न्यायालय में कही चेलेन्ज किया गया हो, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है ।

चूंकि दान पत्र रजिस्टर्ड है एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय में भी दानपत्र में उल्लेखित आराजी पर अपीलांट का अधिकार व कब्जा माना गया है । ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय अपास्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त तनकीयात कायम कर साक्ष्य इत्यादि के पश्चात् ही पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा